Enclosure-04(a)

संख्या- 5036 /28-2-93-5181/89

प्रेषक,

आर०एस०टोलिया,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
शिक्षा डिग्री प्लान अनुभाग,
इलाहाबाद ।

उत्तरांचल विकास अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 1993

विषय:- राजकीय महाविद्यालय, विकास नगर, डाकपत्थर (देहरादून) में वाणिज्य ... हेतु पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक डिग्री प्लान/4550/92-93, दिनांक 5 फरवरी, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय महाविद्यालय, विकास नगर, डाकपत्थर (देहरादून) में वाणिज्य संकाय के संचालनार्थ एवं सुचारू रूप से पठन-पाठन हेतु निम्नलिखित पदों को शासनादेश जारी होने की तिथि अथवा विधिवत् नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में होगी से 28 फरवरी 1994 तक के लिये अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की सहमति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायं ।

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपये)
1.	प्राचार्य	एक	3700-5700
2.	प्रवक्ता (वाणिज्य)	एक	2200-4000
3.	वरिष्ठ लिपिक	एक	1200-30-1560-द०रो०-40-...
4.	चपरासी	एक	750-12-870-द०रो०-14-9...
	कुल पद चार		

2- उक्त पद धारक को वेतन के अतिरिक्त वे ही भत्ते अनुमन्य होगें जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेगें । तदर्थ नियुक्ति अनुमन्य नहीं होगी ।

3- उक्त पदों पर होने वाला वेतनादि व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-95 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक -2551-पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-104-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-04-राजकीय महाविद्यालय-0401-नये राजकीय उपाधि महाविद्यालय का खोला जाना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

Attested

...2/-

सत्यापित
33
9.3.94

प्राचार्य
वीर शहीद केसरी चन्द

1(b)

4- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-4-2921/दस/93 दिनांक 29-10-93 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,
ह0/-
(आर0एस0टोलिया)
सचिव।

संख्या-5036 (1)/38-2-93-5181/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/जिलाधिकारी, देहरादून।
5- वित्त ई-4/शिक्षा अनुभाग-11/17/वित्त वेतन आयोग (अनुभाग-2) (दो तीन प्रति)
6- उत्तरांचल विकास अनुभाग-10/टेक्निकल सेल/कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से,
ह0/-
(आर0एस0टोलिया),
सचिव।

Certified
33
9.3.94
प्राचार्य
राजकीय महा विद्यालय विकासनगर
डाकपत्थर (देहरादून) -248125

Attested
प्राचार्य
वीर शहीद केसरी चन्द
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डाकपत्थर (विकासनगर) देहरादून

संख्या–2439(1)/28–2–97–5(40)/96

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
सचिव
उ०प्र०शासन ।

सेवामें,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
उच्च शिक्षा डिग्री प्लान अनुभाग
उ०प्र० इलाहाबाद ।

उत्तराखण्ड विकास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 18 जून, 1997

विषय:– उत्तराखण्ड क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों के लिये प्रवक्ता के पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड के पत्रांक 456/बजट/पद सृजन/96–97 दिनांक 19–10–96 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में सुचारू रूप से पठन–पाठन के संचालनार्थ संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार अस्थायी पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमानों में इस शासनादेश के निर्गत होने अथवा इन पदों पर विधिवत चयनोपरान्त नियुक्ति की तिथि से जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 1998 तक के लिये सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते यह पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय ।

2– उक्त पद धारकों को वेतन के अतिरिक्त वे ही भत्ते अनुमन्य होगें जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेगें ।

3– उक्त पद निर्धारित प्रक्रिया एवं शासन की वर्तमान नीति नियमों के अनुसार विधिवत चयनोपरान्त ही भरे जायेगें । तदर्थ नियुक्ति अनुमन्य न होगी ।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –95 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2551–पहाड़ी क्षेत्र–60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र –आयोजनागत –104–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–04–राजकीय महाविद्यालय –0402–वर्तमान राजकीय महाविद्यालय का सुदृढ़ीकरण तथा उनमें नये संकायों/विषयों का खोला जाना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०–ई–4/777/दस/97 दिनांक 17–6–97 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
सचिव ।

संख्या–2439(1)/28–2–97–5(40)/96 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार प्रथम लेखा एवं हकदारी उ०प्र० इलाहाबाद ।
2– कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
3– वित्त ई–4 (शिक्षा अनुभाग–17/उत्तराखण्ड विकास अनुभाग–10/टी०सी०/आडिट सेल/कम्प्यूटर सेल
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०) उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)
5– उत्तराखण्ड मिनी सचिवालय देहरादून/नैनीताल ।
6– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित

आज्ञा से,

(अजय कुमार जोशी)
सचिव ।

छायाप्रति प्रमाणित
16.1.2001

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
विकासनगर–डाकपत्थर
(देहरादून) 16/1/2001

शा0सं0/30./28-2-97-5(40)/96 : दिनांक 10 जून, 97 का संलग्नक

क्र0सं0	महाविद्यालय का नाम	विषय	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1-	रा0स्नात0महाविद्यालय पिथौरागढ़	भौतिक विज्ञान	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	दो
2-		गृह वि0	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
2-	एम0बी0रा0स्नात0महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)	समाजशास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द.रो.-100-4000	[illegible]
		इतिहास	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		गृह वि0	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	दो
		भूगोल वि0	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
3-	रा0स्नात0 महावि0 रामनगर	अंग्रेजी	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		मनोविज्ञान	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
4-	रा0महावि0काशीपुर	राजनीति शास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		गणित	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	दो
5-	रा0महावि0बटीमा	हिन्दी	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		रा0शास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		अर्थशास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	दो
		इतिहास	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	[illegible]
		शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
6-	रा0स्नात0 महावि0रुद्रपुर	समाजशास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		वाणिज्य	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	दो
7-	रा0महावि0 विकासनगर डाकपत्थर (देहरादून)	वाणिज्य	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
8-	रा0महावि0ऋषिकेश	राजनीति शास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
		समाजशास्त्र	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
9-	रा0स्नात0 महावि0 कोटद्वार	रसायन शा0	प्रवक्ता	2200-75-2800-द0रो0-100-4000	एक
				कुल योग-	28 पद

छाया प्रतिप्रमाणित

16.1.2001

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
विकासनगर-डाकपत्थर
(देहरादून)

(अजय कुमार जोशी)
उप सचिव ।

संख्या-3202 /मा0स0वि0/2001

प्रेषक,

राज कुमार सिंह ,
अपर सचिव ,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल) ।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून दिनांक 5-X- 2001

विषयः- राजकीय महाविद्यालय, विकासनगर-डाकपत्थर (देहरादून) में विज्ञान संकाय की स्थापना हेतु पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 2694/डिग्री प्लान/13(9)2000-2002 दिनांक 16-2-2001 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में राजकीय महाविद्यालय विकासनगर-डाकपत्थर (देहरादून) में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित अस्थायी पदों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पदों पर नियुक्ति / तैनाती की तिथि, जो भी बाद में हो से दिनांक 28 फरवरी, 2002 तक अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि ये पद इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायँ ।

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1-	प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान, बनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, एवं गणित विषय में एक-एक।	05	8000-275-13500
2-	प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान,	04	3200- 85- 4900
3-	इलैक्ट्रिशियन	01	3050- 75-4590
4-	प्रयोगशाला परिचर	04	2550- 55-2660-60-3200

2- उक्त पद अपने सम्बन्धित संवर्ग पद में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने

क्रमशः--- 2 ---

जायेंगे। इन पद धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्ते जो भी अनुमन्य होंगे देय होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययकके अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-आयोजनागत-103-राजकीय कालेज तथा संस्थान-04-वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-208/वित्त अनु0-2/2001, दिनांक 4 अक्टूबर, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

ह राज कुमार सिंह ह
अपर सचिव।

संख्या-3202(1)/उ0स0वि0/2001-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, नैनीताल।
3- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, विकासनगर-डाकपत्थर, देहरादून।
4- वित्त अनुभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
04/10/2001.
ह राज कुमार सिंह ह
अपर सचिव।

संख्या– 46 / उच्च शिक्षा / 2003–3(81)2002

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन ,
प्रमुख सचिव ,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा
हल्द्वानी (नैनीताल) ।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 13 अगस्त, 2003

विषयः– प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पदों का सृजन ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 में निम्नांकित राजकीय महाविद्यालयों में उनके सम्मुख अंकित विषयों में प्रवक्ता के 76 ,प्रयोगशाला सहायक के 39 ,प्रयोगशाला परिचर के 46 ,तबला वादक के तीन,वरिष्ठ लिपिक का एक , कनिष्ठ लिपिक के दो , कार्यालय परिचर के दो तथा इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रीशियन / मैकेनिक का एक कुल 170 अस्थायी पदों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पदों पर नियुक्ति / तैनाती की तिथि ,जो भी बाद में हो , से 28 फरवरी,2004 तक अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि ये पद इससे पहले बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जॉय ।

महाविद्यालय का नाम	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.राजकीय महाविद्यालय,जोशीमठ	प्रवक्ता गृहविज्ञान,सैन्यविज्ञान इतिहास,राजनीतिशास्त्र	8000–13500	04
	प्रयोगशाला सहायक गृहविज्ञान,सैन्य विज्ञान	3200–4900	02
	प्रयोगशाला परिचर गृहविज्ञान,सैन्य विज्ञान	2550–3200	02
2.राजकीय महाविद्यालय,कर्णप्रयाग	प्रवक्ता भौतिक,रसायन,वनस्पति, प्राणि विज्ञान,गणित	8000–13500	05
	प्रयोगशाला सहायक भौतिक,रसायन,वनस्पति, प्राणि विज्ञान,	3200–4900	04
	प्रयोगशाला परिचर भौतिक,रसायन,वनस्पति, प्राणि विज्ञान	2550–3200	04

क्रमशः –2–

3.राजकीय महाविद्यालय,अगस्तमुनि	प्रवक्ता गृहविज्ञान, अंग्रेजी,गणित,भूगोल	8000–13500	04
	प्रयोगशाला सहायक गृहविज्ञान ,भूगोल	3200–4900	02
	प्रयोगशाला परिचर गृहविज्ञान ,भूगोल	2550–3200	02
4.राजकीय महाविद्यालय,कोटद्वार	प्रवक्ता चित्रकला , संगीत गृहविज्ञान,समाजशास्त्र	8000–13500	04
	प्रयोगशाला सहायक गृहविज्ञान	3200–4900	01
	तबला वादक	3050–4590	01
	प्रयोगशाला परिचर गृहविज्ञान, संगीत	2550–3200	02
5.राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल	प्रवक्ता भौतिकी,रसायन,वनस्पति प्राणि विज्ञान,गणित	8000–13500	05
	प्रयोगशाला सहायक भौतिकी,रसायन,वनस्पति प्राणि विज्ञान	3200–4900	04
	प्रयोगशाला परिचर भौतिकी,रसायन,वनस्पति प्राणि विज्ञान	2550–3200	04
6.राजकीय महाविद्यालय,ऋषिकेश	प्रवक्ता गृहविज्ञान,संगीत, शिक्षाशास्त्र भूगर्भ विज्ञान	8000–13500	04
	प्रयोगशाला सहायक गृहविज्ञान,भूगर्भ विज्ञान	3200–4900	02
	तबला वादक0	3050–4590	01
	प्रयोगशाला परिचर गृहविज्ञान,भूगर्भ विज्ञान,संगीत	2550–3200	03
7.राजकीय महाविद्यालय,डाकपत्थर	प्रवक्ता हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत, इतिहास,शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र	8000–13500	06

क्रमशः–3–

8.राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी	प्रवक्ता संगीत, गणित,जन्तु विज्ञान	8000-13500	03
	प्रयोगशाला सहायक जन्तुविज्ञान	3200-4900	01
	तबला वादक	3050-4590	01
	प्रयोगशाला परिचर जन्तु विज्ञान, संगीत	2550-3200	02
9.राजकीय महाविद्यालय,पुरोला	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	01
	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	02
	कार्यालय परिचर	2550-3200	02
	प्रयोगशाला परिचर	2550-3200	04
10.राजकीय स्नातको० महाविद्यालय,हल्द्वानी	प्रवक्ता अंग्रेजी, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान	8000-13500	03
	प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान, गृहविज्ञान	3200-4900	02
	प्रयोगशाला परिचर मनोविज्ञान, गृहविज्ञान	2550-3200	02
11..राजकीय स्नातको० महाविद्यालय,काशीपुर	प्रवक्ता इतिहास , भूगोल	8000-13500	02
	प्रयोगशाला सहायक , भूगोल	3200-4900	01
	प्रयोगशाला परिचर, भूगोल	2550-3200	01
12..राजकीय स्नातको० महाविद्यालय,रुद्रपुर	प्रवक्ता इतिहास, अंग्रेजी	8000-13500	02
13. राजकीय स्नातक महाविद्यालय,द्वाराहाट	प्रवक्ता भौतिकी,रसायन,वनस्पति प्राणि विज्ञान,गणित समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र	8000-13500	07
	प्रयोगशाला सहायक भौतिकी,रसायन,वनस्पति प्राणि विज्ञान,	3200-4900	04
	प्रयोगशाला परिचर भौतिकी,रसायन,वनस्पति प्राणि विज्ञान	2550-3200	04

क्रमशः-4

14. राजकीय स्नातक महाविद्यालय,रानीखेत	प्रवक्ता वाणिज्य संकाय रसायन , भूगोल	8000—13500	03
	प्रयोगशाला सहायक रसायन , भूगोल	3200—4900	02
	प्रयोगशाला परिचर रसायन , भूगोल	2550—3200	02
15 राजकीय स्नातक महाविद्यालय,लमगड़ा	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र	8000—13500	02
16. राजकीय स्नातक महाविद्यालय,बागेश्वर	प्रवक्ता वाणिज्य राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्र	8000 —13500	03
17. राजकीय महाविद्यालय,बेरीनाग	प्रवक्ता जन्तुविज्ञान,रसायन विज्ञान,भौतिकी,वनस्पति विज्ञान	8000—13500	04
	प्रयोगशाला सहायक जन्तुविज्ञान,रसायन विज्ञान,भौतिकी, वनस्पति विज्ञान	3200—4900	04
	प्रयोगशाला परिचर जन्तुविज्ञान,रसायन विज्ञान,भौतिकी, वनस्पति विज्ञान	2550—3200	04
18. राजकीय महाविद्यालय, नारायणनगर—डीडीहाट	प्रवक्ता भौतिकी विज्ञान,रसायन, प्राणि विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल	8000—13500	07
	प्रयोगशाला सहायक भौतिकी विज्ञान,रसायन, प्राणि विज्ञान, , वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल	3200—4900	06
	प्रयोगशाला परिचर भौतिकी विज्ञान,रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल	2550—3200	06

क्रमशः—5

२२

19.राजकीय महिला महाविद्यालय,हल्द्वानी	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान ,भौतिकी विज्ञान,रसायन, गणित,बनस्पति विज्ञान, बी0काम0, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र	8000–13500	08
	प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान ,भौतिकी विज्ञान,रसायन, बनस्पति विज्ञान,	3200–4900	04
	इलैक्ट्रीशियन	3200–4900	01
	प्रयोगशाला परिचर जन्तु विज्ञान ,भौतिकी विज्ञान,रसायन, बनस्पति विज्ञान,	2550–3200	04

2– उक्त पद अपने संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रुप में माने जायेगें इन पद धारकों को समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्ते भी अनुमन्य होगें ।

3– उक्त पदों के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय व्ययक अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक –2202 –सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–आयोजनागत –103 राजकीय कालेज तथा संस्थान–04–वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 1296 / वित्त अनु.–1 / 2003–2004 दिनॉक 31–7–2003 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(एम0रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 46 (1) / उच्च शिक्षा /2003 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार ,उत्तरॉचल, , देहरादून ।
(2) समस्त कोषाधिकारी , उत्तरॉचल द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा ।
(3) वित्त अनुभाग–1/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरॉचल शासन ।
(4) सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा निदेशक,उच्च शिक्षा ।
(5) लेखाधिकारी , उच्च शिक्षा निदेशालय , हल्द्वानी (नैनीताल)।
(6) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
अनु सचिव

उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0 : डिग्री-प्लान/3632 /2003-04 दिनांक 20 अगस्त, 2003

उक्त राजाज्ञा संख्या 46/उ0शि0/2003-03(81)/2002 दि0 13 अगस्त 2003 की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य।
2. कोषाधिकारी :- चमोली/ रुद्रप्रयाग/ पौडी/ कोटद्वार/ देहरादून/ उत्तरकाशी/ नैनीताल /उधमसिंहनगर/रानीखेत/चम्पावत/पिथौरागढ/बागेश्वर। अल्मोड़ा/

भवदीय,

(प्रो0 पी0सी0 बाराकोटी)
निदेशक (उच्च-शिक्षा)
उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)

22.DEC.2004 13:06 JOINTDIRECTORHIGEDUC NO.373 P.1

संख्या–928 / XXIV(1) / 200

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 03 ~~अक्टूबर~~ जनवरी, 2004

विषय:– राजकीय महाविद्यालय,डाकपत्थर,देहरादून हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–डिग्री प्लान / 2097 / 2004–05, दिनांक 09 जून,2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 में राजकीय महाविद्यालय,डाकपत्थर, देहरादून में वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 की कक्षायें संचालित किए जाने हेतु प्रवक्ता–वाणिज्य के 01 (एक) पद वेतनमान रू0 8000–13500 में इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पदों पर नियुक्ति / तैनाती की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28–2–2005 तक अस्थायी रूप से सृजित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि यह पद इससे पहले किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिए जाँय।

2– यह पद अपने संबंधित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माना जायेगा। इस पद धारक को समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्ते भी अनुमन्य होंगे।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–आयोजनागत–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–04–वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश की सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-957/वित्त अनु0-1/2004, दिनांक 23 अक्टूबर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किए जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या--928(1)/XXIV(1)/2004-तद्दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2-लेखाधिकारी,निदेशक, उच्च शिक्षा कार्यालय, हल्द्वानी,नैनीताल।
3-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री,उत्तरांचल।
4-कोषाधिकारी, देहरादून।
5-वित्त अनुभाग-1/नियोजन प्रकोष्ठ/ [illegible]
6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

634
25/07/08

संख्या–200 /xxiv (7)/200

प्रेषक,

इन्दुधर बौडाई,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी– नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 2 जुलाई 2008

विषयः– **राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर (विकासनगर) में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों हेतु पदों का सृजन ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री प्लान/1621/ 2008–09 दिनांक 19 मई 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर (विकासनगर) में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार पदों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पदों पर नियुक्ति/तैनाती की तिथि जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी 2009 तक अस्थायी रुप से सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इससे पूर्व विना किसी सूचना के ये पद समाप्त न कर दिये जायें।

क्0स0	सृजित किये जाने वाले पद/विषय		वेतनमान
1.	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	एक पद	रु0 8000–13500
2.	प्रवक्ता गृह विज्ञान	एक पद	रु0 8000–13500
3.	प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान	एक पद	रु0 3200–4900
4.	प्रयोगशाला परिचर गृह विज्ञान	एक पद	रु0 2550–3200

2– उपरोक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये सम्वन्धित लेखा शीर्षक में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा। तथा प्रथम अनुपूरक माग में सम्मिलित करते हुये अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जायेगी।

3– व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। मित्त व्ययता सम्वन्धी वित्त विभाग व शासन के निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त पदों के सम्वन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक "

2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज त
संस्थान–04–राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं नये विषय/संकायों का उन्नयन
की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 181 (p)/xxvii(3)/200
दिनांक 13–7–08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्दुधर बौडाई)
अपर सचिव

सं0 ≥○○ (1)/ **xxiv** (7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2– लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी।

3– बरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।

4–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर (विकासनगर) ।

5– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3 –नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

6– गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्या–   /xxiv(7)/2014–22(6)/09

603
27.1.15

प्रेषक,

राधिका झा,
प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7(उच्च शिक्षा)   देहरादून दिनांक 27 जनवरी, 2015

विषयः– **राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में एम0एस0सी0 तथा एम0ए0 स्तर पर पदों के सृजन की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संख्या–327/xxiv(7)/2014–22(6)/09 दिनांक 25.01.2014 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या : डिग्री प्लान/7773/2014–15 दिनांक 10.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में एम0एस0सी0 तथा एम0ए0 स्तर के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसरों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक (बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जॉय) के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

कसं	पदनाम	वेतनमान रू. में	ग्रेडवेतन रू. में	पदों की सं0
1	असिस्टेंट प्रोफेसर–गणित	15600–39100	6000	02
2	असिस्टेंट प्रोफेसर–भौतिक विज्ञान	15600–39100	6000	02
3	असिस्टेंट प्रोफेसर–रसायन	15600–39100	6000	02
4	असिस्टेंट प्रोफेसर–हिन्दी	15600–39100	6000	02
5	असिस्टेंट प्रोफेसर–अंग्रेजी	15600–39100	6000	02
6	असिस्टेंट प्रोफेसर–राजनीतिशास्त्र	15600–39100	6000	02
7	असिस्टेंट प्रोफेसर–इतिहास	15600–39100	6000	02
8	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	5200–20200	2800	01
9	पुस्तकालय लिपिक	5200–20200	1900	01
10	प्रयोगशाला सहायक	5200–20200	2400	02
11	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	02
12	अनुसेवक	आउटसोर्स		02
13	बुक लिफ्टर			01
14	प्रयोगशाला परिचर			02
15	स्वच्छक/चौकिदार			02
	कुल योग–			27

2– सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

3– उक्त पदों के सृजन आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–04–वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश की सुसंगत इकाइयों से वहन किया जायेगा।

..................2/

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 303 (p)/xxvii(3)/2014–15 दिनांक 17 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधिका झा)
प्रभारी सचिव

पृ0सं0 3243 (1)/xxiv(7)/2015–22(6)/09तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3– जिलाधिकारी देहरादून।
4– लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
5– कोषाधिकारी संबंधित कोषागार।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
7– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर–देहरादून।
7– अनुभाग अधिकारी, घोषणा अनुभाग को घो0सं0–289/2012के कम में।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या- /XXIV-C-2/2021/20(06)2020

प्रेषक,

एम0एम0 रोंगवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांकः जुलाई, 2021

विषयः– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कतिपय महाविद्यालयों में वर्तमान में अधिसंख्य शैक्षणिक पदों को अन्य महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के आदेश सं0 649/XXIV(3)/2016–01(30)/2015 दिनांकः 14.12.2016 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्धारण के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों का वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में राज्य गठन से पूर्व कतिपय महाविद्यालयों में सृजित शैक्षणिक पदों का छात्र संख्या के आधार पर असमान वितरण हो गया है, अतः शिक्षकों व छात्र संख्या के इस असमान वितरण को समान किए जाने के उद्देश्य से छात्रहित/राज्यहित में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में से वर्तमान में छात्र संख्या के आधार पर उपलब्ध अधिसंख्य शैक्षिक पदों को अन्य कम पदों वाले महाविद्यालयों में इस शर्त के अधीन स्थानान्तरित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि शासनादेश सं0 649/XXIV(3)/2016/01(30)2015 दिनांकः 14.12.2016 द्वारा प्राध्यापकों के पद सृजन के मानकों का अध्ययन कर यदि पद अतिरिक्त हों और जिस महाविद्यालय में पद हस्तान्तरित किया जा रहा है, वहां पद के सृजन की मानकानुसार आवश्यकता बनती हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार ही पदों का हस्तान्तरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा मानकों के अनुसार यथाआवश्यकतानुरूप ही पदों का स्थानान्तरण किया जाएगा, किसी भी दशा में कोई नया/अतिरिक्त अथवा उच्चतर पद सृजित नहीं किया जाएगा–

1–एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

क्र0 सं0	विषय	सृजित पद	कटौती हेतु प्रस्तावित पद	कटौती के पश्चात अवशेष पदों की संख्या	कटौती के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय	आवंटित महाविद्यालय में सृजित पदों की संख्या	आवंटन हेतु प्रस्तावित पद	आवंटन के पश्चात कुल पदों की संख्या
1	हिन्दी	09	01	08	रा0म0वि0 जयहरीखाल	01	01	02
2	अर्थशास्त्र	08	02	06	रा0म0वि0 जयहरीखाल	01	01	02
					रा0म0वि0 महिला हल्द्वानी	01	01	02
3	राजनीति	11	03	08	रा0म0वि0 महिला हल्द्वानी	01	01	02

					रा0महा0 बेरीनाग	01	01	02
					रा0महा0 जयहरीखाल	01	01	02
	समाजशास्त्र	13	06	07	रा0महा0 महिला हल्द्वानी	01	01	02
					रा0महा0 कोटद्वार	02	01	03
					रा0महा0 बागेश्वर	02	01	03
					रा0महा0 द्वाराहाट	02	01	03
					रा0महा0 बेरीनाग	02	01	03
					रा0महा0 चम्पावत	01	01	02
5	शिक्षाशास्त्र	13	06	07	रा0महा0 महिला हल्द्वानी	01	01	02
					रा0महा0 काशीपुर	01	01	02
					रा0महा0 खटीमा	01	01	02
					रा0महा0 डाकपत्थर	01	01	02
					रा0महा0 पिथौरागढ़	01	01	02
					रा0महा0 लोहाघाट	01	01	02
6	भौतिक विज्ञान	10	03	07	रा0महा0 डोईवाला	01	01	02
					रा0महा0 रायपुर	01	01	02
					रा0महा0 सितारगंज	01	01	02
7	रसायन विज्ञान	16	04	12	रा0महा0 रामनगर	02	01	03
					रा0महा0 डोईवाला	01	01	02
					रा0महा0 रायपुर	01	01	02
					रा0महा0 द्वाराहाट	01	01	02
8	जन्तु विज्ञान	09	02	07	रा0महा0 डोईवाला	01	01	02
					रा0महा0 रायपुर	01	01	02
9	वनस्पति विज्ञान	09	02	07	रा0महा0 डाकपत्थर	01	01	02
					रा0महा0 रायपुर	01	01	02
10	गणित	12	05	07	रा0महा0 महिला हल्द्वानी	01	01	02
					रा0महा0 डोईवाला	01	01	02
					रा0महा0 रायपुर	01	01	02
					रा0महा0 रामनगर	02	01	03
					रा0महा0 खटीमा	02	01	03
11	वाणिज्य	24	12	12	रा0महा0 महिला हल्द्वानी	05	02	07
					रा0महा0 द्वाराहाट	00	02	02
					रा0महा0 चम्पावत	01	01	02
					रा0महा0 सितारगंज	01	01	02
					रा0महा0 सतपुली	01	01	02
					रा0महा0 अगस्त्यमुनि	01	02	03
					रा0महा0 [illegible]	01	01	02

I/51117/2022

संख्या 51117/XXIV-C-2/2022-22(06)2009

234
25/07/2022

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषयः-राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर (देहरादून) में स्नातक स्तर पर पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री प्लान/2200/2021-22, दिनांक 25.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)2015, दिनांक 14.12.2016 द्वारा नियत मानकानुसार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर, जनपद देहरादून में स्नातक स्तर पर निम्नलिखित तालिकानुसार उल्लिखित असिस्टेन्ट प्रोफेसरों के अस्थाई पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाय के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0स0	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	एकेडमिक/वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद
1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर-मानव विज्ञान	57700-182400	एके0ले0-10	01
	कुल पद-			01

2- उक्त तालिकानुसार स्वीकृत किये जा रहे पदों के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही निदेशालय द्वारा सम्पन्न की जायेगी। उपरोक्त सृजित अस्थायी पद पर योजित कार्मिक को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत वेतन/भत्ते अनुमन्य होंगे।

3- उक्त सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसार यथा प्रक्रिया नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त पद को विभागीय आवश्यकतानुसार प्रचलित शासनादेशानुसार ससमय विस्तारित (निरन्तरता) किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व स्वतः सिद्ध हो जाएगा।

4- उक्त पद के सृजन आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय

O/C

कालेज तथा संस्थान–03– राजकीय उपाधि महाविद्यालय योजना की सुसंगत इकाइयों से वहन किया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या I/50798/2022, दिनांक 18.07.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 20-07-2022 10:50:45
(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

<u>संख्या : 5117 (1)/XXIV-C-2/2022–22(06)2009, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6– सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7– प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर (देहरादून)।
8– वित्त अनुभाग–3 एवं 7/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Manisha Verma
(मनीषा वर्मा)
Date: 20-07-2022 11:02:45
अनु सचिव।

संख्या : 371 /XXIV(7)/51(3)/2010

03

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून : दिनांक 07 अप्रैल ~~मार्च~~, 2010

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों मे स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की व्यवस्था हेतु नवीन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्रांक शि0का0/1078/बी0एड0/2010, दिनांक 17 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर नई नियुक्तियां करने के उद्देश्य से एन0सी0टी0ई0 के मानदण्ड एवं दिशा–निर्देश विनिमय 2009, में विहित नये मानकों के दृष्टिगत दिनांक 24 नवम्बर, 2009 को राज्य स्तरीय गवर्निंग बॉडी की आहूत बैठक में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रयोजन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं योग्यता सूची निर्धारण के लिए मानदण्डों को निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. **शैक्षणिक स्टाफ हेतु मानदण्ड** : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुरूप निर्धारित संख्या में शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए पृथक–पृथक योग्यता सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:–

क. **प्रवक्ता – आधारिक पाठ्यक्रम**

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता :

अ. विज्ञान/मानविकी/कला में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

अ. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित शिक्षाशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

अ. एम0एड0 अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्तांकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)

ब. एम0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. बी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र – दस अंक।

य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा–दस अंक।

र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 –पांच अंक।

ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता–पांच अंक।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)

व. साक्षात्कार–बीस अंक।

ख. प्रवक्ता – प्रविधि पाठ्यक्रम

पद संख्या : छः

अनिवार्य योग्यता :

अ. किसी स्कूल विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

अ. एम0एड0 के अतिरियत अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्तांकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)

ब. --एम0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. बी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत

द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र – दस अंक।

य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा–दस अंक।

र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 –पांच अंक।

ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता–पांच अंक।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)

व. साक्षात्कार–बीस अंक।

ग. विभागाध्यक्ष

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता :

अ. किसी स्कूल विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।

स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0।

द. दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव माध्यमिक शिक्षण संस्थान में हो।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

अ. एम0एड0 के अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्तांकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)

ब. एम0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. बी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र – दस अंक।

य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा–दस अंक।

र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 –पांच अंक।

ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता–पांच अंक।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)

व. साक्षात्कार–बीस अंक।

टिप्पणी : पात्रता के उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा शास्त्र में सेवा निवृत प्रोफेसरों/अध्यक्ष को एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

प्रविधि पाठ्यक्रमों हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति निम्न विषयों में की जायेगी:–

प्रवक्ता अंग्रेजी–1, प्रवक्ता हिन्दी –1, प्रवक्ता गणित–1, प्रवक्ता भौतिकी/रसायनशास्त्र–1, प्रवक्ता जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान–1, प्रवक्ता सामाजिक शास्त्र (इतिहास/राजनीति विज्ञान/भूगोल/अर्थशास्त्र)–1
प्रवक्ता–आधारिक पाठ्यक्रम सामाजिक शास्त्र(इतिहास/राजनीति विज्ञान/भूगोल/अर्थशास्त्र) विषयों में से किसी एक विषय का होना चाहिए और उसका विषय प्रविधि पाठ्यक्रम में नियुक्त प्रवक्ता सामाजिक शास्त्र के विषय से भिन्न हो।

2. तकनीकी सहयोगी स्टाफ हेतु मानदण्ड

क. पुस्तकालयाध्यक्ष

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान मे न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण -- अधिकतम अंक – 100

अ. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के अंकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

ब. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री के अंकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।

स. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पी०एच०डी०--दस अंक।

द. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में यू०जी०सी० की नैट परीक्षा–दस अंक।

य. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एम०फिल०–पांच अंक

र. सूचना विज्ञान में विशिष्टता हेतु अधिकतम अंक–पन्द्रह।
(सूचना विज्ञान में विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे)

र. साक्षात्कार –बीस अंक।

ख. प्रवक्ता – शारीरिक शिक्षा

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता : शारीरिक शिक्षा विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 75

अ. शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत ।

ब. बी०पी०एड० के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत।

स. पी०एच०डी० शारीरिक शिक्षा -- दस अंक।

द. शारीरिक शिक्षा में यू०जी०सी० की नैट परीक्षा–दस अंक।

य. शारीरिक शिक्षा में एम०फिल० –पांच अंक।

र. साक्षात्कार–बीस अंक।
(साक्षात्कार समिति द्वारा अंक प्रदान करने हेतु अभ्यर्थी की जिला स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय/प्रदेश स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाएगा।)

3- सहयोगी प्रशासनिक स्टाफ हेतु मानदण्ड

निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के आधार पर युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग अथवा उपनल (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०) अथवा हिल्ट्रान के माध्यम से तत्सम्बन्धी शासनादेशों/संबंधित आदेशों के आधार पर की जायेगी।

कार्मिक	पद संख्या	योग्यता
(अ) कार्यालय एवं लेखा सहायक	01	वाणिज्य में स्नातक एवं एकाउण्टिंग सॉफटवेयर टैली का ज्ञान।
(ब) कार्यालय सहायक एवं टंकक	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान।
(स) स्टोरकीपर	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान।
(द) तकनीकी सहायक/कम्पयूटर सहायक	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्पयूटर में एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान।
(ध) परिधर/सहायक/सहयोगी स्टाफ	02	कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण।

4– शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ का पारिश्रमिक :

समस्त शैक्षणिक स्टाफ, पुस्तकालयध्यक्ष/सह पुस्तकालयध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा तकनीकी /प्रयोगशाला सहायक के पारिश्रमिक का भुगतान, इस उद्देश्य के लिए समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग अथवा उपनल (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0) अथवा हिल्ट्रान के माध्यम से नियुक्त प्रशासनिक स्टाफ के पारिश्रमिक का भुगतान तत्संबंधी शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को पारिश्रमिक का भुगतान आदाता के खाते में देय चैक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जायेगा।

5–शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन :–

शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रस्तर 07 में वर्णित समिति द्वारा अलग–अलग कम से कम दो ऐसे समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा, जिनका व्यापक प्रचलन प्रदेश स्तर पर हो, परन्तु विज्ञापन का प्रारूप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें पद का नाम, संख्या, अर्हता, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु, पारिश्रमिक (संदाय), आवेदन–पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि अन्य आवश्यक तथ्यों का समावेश होना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- आरक्षण :

विभिन्न पदों पर आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा तत्समय प्रवृत्त यथा आदेशों/नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7- चयन समिति का गठन :

शैक्षणिक स्टाफ तथा तकनीकी सहयोगी स्टाफ के आवेदन पत्रों की स्कीनिंग, योग्यता सूची निर्धारण एवं चयन हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा — संयोजक
(2) सम्बन्धित विश्वविद्यालय के बी०एड० विभाग के दो प्रतिनिधि — विषय विशेषज्ञ
(3) उच्च शिक्षा विभाग से एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० वर्ग के एक–एक प्रतिनिधि — सदस्य
(4) राज्य सरकार का एक नामिति — सदस्य

8. योग्यता सूची का तैयार किया जाना :

चयन समिति द्वारा विभिन्न पदों हेतु योग्यता सूची का निर्धारण उपरोक्त निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

9. नियुक्ति पत्र का निर्गमन :

चयन समिति द्वारा योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्य करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न देने की दशा में योग्यता सूची में क्रमशः अगले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा। समस्त नियुक्तियां संविदान्तर्गत एक शैक्षणिक सत्र या अधिकतम सीमा जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगी। नियुक्ति हेतु आमंत्रण पत्र एवं संविदा पत्र का प्रारूप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा तैयार किया जायेगा। इन दोनों प्रारूपों में यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि महाविद्यालयों में बी०एड० पाठ्यक्रम स्ववित्त योजना के अन्तर्गत संचालित हैं तदनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप से संविदान्तर्गत की जा रही हैं तथा राज्य सरकार पर इसका कोई वित्तीय भार निहित नहीं होगा।

10. चयनित अभ्यर्थियों की सूची का एन०सी०टी०ई० को आवश्यक प्रेषण :

चयन समिति एवं समस्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची, एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित प्रारूप पर (शपथ–पत्र के रूप में) एन०सी०टी०ई० जयपुर को प्रेषित करेंगे एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें प्रथमबार पाठ्यक्रम संचालित होना है, पाठ्यक्रम में छात्र–छात्राओं के प्रवेश हेतु उनसे औपचारिक मान्यता आदेश प्राप्त करेंगे।

11. महाविद्यालयों द्वारा बैबसाइट का निर्माण एवं अपडेट करना :

चयन समिति एवं संबंधित महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मानकों के अनुसार बी०एड० पाठ्यक्रम की एक बैबसाइट तैयार करेंगे एवं सम्मिलित प्रत्येक शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी की योग्यता, अनुभव एवं फोटो सहित अन्य विवरण का उसमें समावेश करेंगे। समय–समय पर शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों में परिवर्तन होने पर बैबसाइट में तदनुसार परिवर्तन किया जाना संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता :

समस्त महाविद्यालय, जिन्हें एन०सी०टी०ई० से औपचारिक मान्यता आदेश प्राप्त हुआ है, स्ववित्त पोषित आधार पर बी०एड० पाठ्यक्रम संचालनार्थ आवश्यक सम्बद्धता हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

13— उक्तानुसार निर्धारित मानकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थी कालान्तर में अपनी सेवाओं के आधार पर राजकीय सेवा/प्रबन्धकीय महाविद्यालय आदि में नियमितीकरण/समायोजन/संविलियन/सेवास्थानान्तरण के हकदार नहीं होगें, ना ही ऐसा कोई दावा विधिमान्य होगा।

14— स्ववित्त पोषित बी0एड0 महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र के समापन अथवा इस निमित महाविद्यालय के वित्तीय स्रोत समाप्त होने के साथ ही स्वतः संविदाधारक की सेवा समाप्त हो जायेगी।

15— शैक्षिक सत्र के दौरान संविदा कर्मी की सेवाएं, अनुशासनहीनता, कदाचार अथवा पठन—पाठन में उदासीनता, उच्चादेशों की अवहेलना, परीक्षा में नकल कराने या अन्य किसी प्रकार के समाज विरोधी अनैतिक कार्यवाही में संलिप्त पाये जाने, असामाजिक व्यवहार का कृत्य पता चलने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायगी एवं ऐसे संविदाधारक के विरूद्ध विधिवत् समस्त कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

16— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझे जायेगें।

भवदीया,

(राधिका झा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 371(1)/XXIV(7)/51(3)/2010/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री (मा0 मुख्यमंत्री जी) उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आर0के0 सिंह, विशेषकार्याधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डॉ0 एम0एम0 करगेती, विशेषकार्याधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर, गढ़वाल।
8. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
9. स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त प्राचार्य स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
10. वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
11. उच्च शिक्षा अनुभाग 6 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एम0 शाह)
उप सचिव